

खाली कंटेनर यार्डों में सुव्यवस्थित परिचालन करने के लिए एसओपी का संचालन प्रक्रिया लागू की गई शिपिंग लाइनों को खाली कंटेनर यार्ड के लिए अदायगी करना प्रासंगिक होने का आश्वासन।

मुंबई, 24 अक्टूबर, 2024: जवाहरलाल नेहरूपतनप्राधिकरण - भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पोताश्रय, नेसक्रिय कदम उठाए हैं, विशेष मुद्दा, खाली कंटेनर यार्डों के लिए सुव्यवस्थित परिचालन करने का एसओपी का संचालन प्रक्रिया लागू किया है, यह माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा 19 सितंबर, 2024, निदेशानुसार किया गया है। उनकी अभिलाषा यह प्रत्यक्ष करती है की शिपिंग लाइन्स को अदायगी एकत्र करना चाहिए और खाली कंटेनर यार्डों का ऋणपरिशोध करें ताकि खाली कंटेनरों को खाली कंटेनर यार्ड में प्रतीक्षा न करना पड़े।

सर्वत्र प्रचलित प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं:

- हैंडलिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान सभी डिपो ऑपरेटिंग सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- ट्रांसपोर्टर्स की चिंता को दूर करने और व्यापार को और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा भुगतान में शामिल जटिलताओं से बचने के लिए, ईसीवाई ऑपरेटर्स को सभी भुगतान केवल शिपिंग लाइन्स द्वारा किए जाएंगे और ट्रांसपोर्टर के खाली कंटेनर यार्ड डिपो तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से भुगतान किया गया डिलीवरी ऑर्डर तैयार होना चाहिए।
- डिपो शिपिंग लाइन्स एसओपी और गाइडलाइन के आधार पर कंटेनरों का सर्वेक्षण होगा और खाली कंटेनरों को उतरा जायेगा।
- कोई भी ट्रांसपोर्टर जो एक्सपायर हो चुके खाली स्वीकृति पत्र के साथ यार्ड में आता है, उसे तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे शिपिंग लाइन से वैध दस्तावेज नहीं मिल जाते। यह शिपिंग लाइन एसओपी के अनुसार है।

डॉ. सुरेन्द्रकुमार अहिरवार, आईआरटीएस, संयुक्त सचिव, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 26 सितंबर, 2024 को जेएनपीए के अध्यक्ष श्री उन्मेष शरद वाघ, आईआरएस की उपस्थिति में स्टेकहोल्डर के साथ चर्चा करने के लिए जनेप प्राधिकरण का भी दौरा किया। खाली कंटेनर यार्ड से संबंधित चिंताओं के समाधान के लिए, जनेप प्राधिकरण ने खाली कंटेनरों के यार्ड के लिए लगभग

3.51 हेक्टेयर स्थान की उपलब्धि प्राप्त की है। ऑपरेटर के चयन के लिए निविदा 28 सितंबर, 2024 को पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, एक अन्य खाली कंटेनर यार्ड भाग स्थिर 26.20 हेक्टेयर स्थान की शिनाख्त कि गयी है। ऑपरेटर के चयन के लिए निविदा का जल्दी जारी की जाएगी। इस प्रकार, मैं खाली कंटेनरों के भंडारण/स्टैकिंग के लिए कुल 30 हेक्टेयर (लगभग) भूमि उपलब्ध होगी, जिससे व्यापार के लिए काफी लागत और समय की बचत होगी।

ये पहल खाली कंटेनर यार्ड के लिए स्थान की कमी को दूर करने, कंटेनर परिचालन को सुव्यवस्थित करने और पतन पर दक्षता को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण योगदान होगी।

जनेप प्राधिकरण के बारे में:

जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण (जनेप प्राधिकरण) भारत के प्रमुख कंटेनर-हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक है। 26 मई 1989 को अपनी स्थापना के बाद से, जनेप प्राधिकरण ने एक बल्क कार्गो टर्मिनल से देश के प्रमुख कंटेनर पतन में परिवर्तन किया है।

वर्तमान में, जनेप प्राधिकरण पांच कंटेनर टर्मिनलों - एनएसएफटी, एनएसआईसीटी, एनएसआईजीटी, बीएमसीटी और एपीएमटी का संचालन करता है। बंदरगाह में सामान्य कार्गो के लिए उथले पानी की बर्थ भी है। जेएनपीए पोर्ट पर मौजूद लिक्विड कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन बीपीसीएल-आईओसीएल कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नवनिर्मित तटीय बर्थ अन्य भारतीय बंदरगाहों को जोड़ता है और तटीय कंटेनरों के यातायात को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है।

277

हेक्टेयर भूमि पर बसा जनेप प्राधिकरण भारत में निर्यात नुस्खी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया बहु-उत्पाद एसईजेड भी संचालित करता है।

जनेप प्राधिकरण महाराष्ट्र के वाढवण में एक सभी मौसमों में सक्षम, गहरे ड्राफ्ट वाला, ग्रीनफील्ड पतन भी विकसित कर रहा है। यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होने की संभावना है और इसकी स्थापना से ही 100% ग्रीनपोर्ट होगा।

मीडिया पूछताछ के लिए, कृपया संपर्क करें:

जनेप प्राधिकरण:

अंबिका सिंह

वरिष्ठ प्रबंधक (मार्केटिंग), जनेप प्राधिकरण

मोबाइल नंबर: +919920372677

ईमेल: ambikasingh@jnport.gov.in

SoPs Implemented for Streamlining Operations at Empty Container Yards; Shipping Lines to make payment for the Empty Container Yards

Mumbai, October 24th, 2024: Jawaharlal Nehru Port Authority - India's Best Performing Port, has taken proactive measures to address the concerns regarding the Empty Containers Yard by implementing Standard Operating Procedures for streamlining operations at the Empty Container Yards, as directed by the Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Shri Piyush Goyal, on September 19th, 2024. It directs that the Shipping Lines should collect the payment and make the payment to empty container yards so that transporters do not wait at the empty container yard.

The Standard Operating Procedures are as follows:

- Online payments of Handling charges shall be accepted by all Depot Operating Members.
- To address the concern of the Transporters and further facilitate trade and also to avoid complications involved in payments, all the payments to ECY operators shall be made by Shipping Lines only and a fully paid delivery order should be ready before the transporter reaches the empty container yard depot.
- The depot will survey the containers & Offload the empty containers based on the Shipping Lines SOP and guidelines.
- Any Transporter who approaches the yard with an expired Empty Acceptance letter will not be entertained until they get the valid documents from the Shipping Line. It is as per the shipping line SOP.

Dr. Surendra Kumar Ahirwar, IRTS, Joint Secretary, Logistics and Trade, Ministry of Commerce and Industry, GoI, also visited JNPA to have a discussion with the stakeholders in the presence of Shri Unmesh Sharad Wagh, IRS, Chairman, JNPA, on September 26th, 2024.

To further resolve the concerns regarding the Empty Container Yard, JNPA has identified a space of around 3.51 Hectares for the storage of empty containers in the yard. The tender for the selection of an operator is already been issued on September 28th, 2024. Also, a space admeasuring 26.20 Hectares has been identified to develop another Empty Container Yard. The tender for the operator's selection will be issued soon. So a total of 30 Hectares (Approx.) of land will be available for the storage/stacking of empty containers at these Empty Container Yards, within JNPA, saving considerable cost and time for the Trade.

These initiatives will significantly contribute to alleviating the shortage of space for the Empty Containers Yard, streamlining container operations and optimizing efficiency at the port.

About JNPA:

The Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) is one of the premier container-handling ports in India. Since its inception on May 26, 1989, JNPA has transformed from a bulk cargo terminal into the premier container port in the country.

Currently, JNPA operates five container terminals - NSFT, NSICT, NSIGT, BMCT and APMT. The Port also has a Shallow Water Berth for general cargo. A Liquid Cargo Terminal present at the JNPA Port is managed by the BPCL-IOCL consortium. Additionally, the newly constructed coastal berth links other Indian ports and facilitates enhancing the traffic of coastal containers.

Nestled across 277 hectares of land, JNPA also operates a meticulously designed multi-product SEZ, with state-of-the-art infrastructure, to boost export-oriented industries in India.

JNPA is also developing an all-weather, deep-draft, greenfield port at Vadhvan, in Maharashtra. It is poised to be among the top 10 ports globally and will be 100% green port since its inception.

For media enquiries, please contact:

JNPA:

Ambika Singh

Sr. Manager (Marketing), JNPA

Mob: +919920372677

E-mail: ambikasingh@jnport.gov.in